अधिसूचना का मसौदा (Draft Notification)

यह एक अधिसूचना का मसौदा है, जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत अधिसूचित होने हेतु प्रस्तावित है।

- यह मसौदा विधि व न्याय मंत्रालय के कानूनी विभाग को उनके न्यायिक दृष्टिकोण हेतु भेजा जा चुका है,
- उत्तराखंड राज्य सरकार को भी यह उनकी टिप्पणी हेतु भेजा जा चुका है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी यह 60 दिनों के लिए डाला जा रहा है, ताकि बड़े स्तर पर सम्बंधित जनों व जनता की टिप्पणियाँ संकलित की जा सकें, कृपया अपनी टिप्पणियाँ 17 अगस्त 2011 तक Bhagirathi.notification@gmail.com पर भेजें।

....

[भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने हेतु, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii)]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 2011

S.O.- (E)- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट, 1986 (1986 के 29) के सब-सेक्सन(1)read with clause(v) और सेक्सन (3) के सब-सेक्सन(2) के clause (xiv) तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत शक्ति से, इसप्रकार केंद्र सरकार अधिसूचना के निम्नलिखित मसौदे को सम्बंधित जनता की जानकारी हेतु प्रस्तावित करती है।

कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के मसौदे में आये प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति या सुझाव भेजना चाहता है तो वह भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है, जिसे वह केंद्र सरकार के विचार हेतु लिखित में, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, CGO काम्प्लेक्स , लोधी रोड , नई दिल्ली-110003 के पते पर डाक द्वारा अथवा Bhagirathi.notification@gmail पर ईमेल द्वारा भी भेज सकता है।

भारत सरकार उपरोक्त समय के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेगी।

अधिसूचना का मसौदा

चूंकि - भागीरथी नदी जो कि गंगा की एक बड़ी सहयोगी धारा है, 3892 मीटर की ऊँचाई पर स्थित गौमुख से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलने से पूर्व भागीरथी एक गहरी ढलान में 215 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, यह नदी गहरी व संकरी घाटी में अपना अधिकांश मार्ग तय करती है।

और चूंकि – कई जल विद्युत परियोजनाएं इस नदी पर निर्मित/प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं, यह देखा जाता है कि नदी की पारिस्थितिकी तंत्र, प्रवाह व गुणधर्मों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

और चूंकि - नदी के पर्यावरणीय प्रवाह व पारिस्थितिकी के रखरखाव को विचारते हुए, गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के 135 किलोमीटर की लम्बाई व इसके किनारों से 100 मीटर की चौड़ाई तक पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से नदी को पर्यावरण संवेदनशील ज़ोन घोषित किया जाएगा।

अतः इसलिए – पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट, 1986 (1986 के 29) के सब-सेक्सन (1)read with clause (v) और सेक्सन (3) के सब-सेक्सन(2) के clause (xiv) तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत शक्ति से, इसप्रकार केंद्र सरकार भागीरथी नदी के गौमुख से उत्तरकाशी तक के भाग को "पर्यावरण संवेदी ज़ोन" (Eco sensitive zone) नाम से अधिसूचित करती है।

1- **Eco sensitive zone की सीमाएं** – कथित Eco sensitive zone गौमुख से उत्तरकाशी तक 135 किलोमीटर नदी की लम्बाई तथा नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर के दायरे तक है।

2- Eco sensitive zone का जोनल मास्टर प्लान –

(i) इस ज़ोन का मास्टर प्लान इसकी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि के तथा पर्यावरण व वन मंत्रालय से सत्यापित होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य सरकार को तैयार करना होगा। यह प्लान पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संज्ञानों को इसमें लेते हुए राज्य के सम्बंधित पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, ऊर्जा, नगरपालिका, आयकर, PWD विभाग और उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्मिलित रूप से तैयार करेंगे।

(ii) उजाड़ हो चुके क्षेत्रों के पुनः ठीक करने, वर्तमान जलश्रोतों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-विभाग प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, नमी व मिट्टी के संरक्षण, स्थानीय जनों की आवश्यकताओं तथा इस प्रकार अन्य ध्यान देने योग्य पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय विषयों के लिए जोनल मास्टर प्लान होगा।

(iii) जोनल मास्टर प्लान इस भाग के सभी ग्राम संरचनाओं, जंगलों के प्रकार, खेती योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, होर्टीकल्चर क्षेत्र, बगीचों, झीलों व अन्य जल श्रोतों को चिन्हित करेगा।

(iv) यह जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय निगरानी समिति (Monitoring commitee) के लिए एक मानक दतावेज होगा, जिसके आधार पर इसके द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विकास की गतिविधियों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

3- Eco sensitive zone में प्रतिबंधित गतिविधियां –

1.25 मेगावाट से अधिक क्षमता की नई जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना,

2.किसी नए औद्योगिक उपयोग के लिए नदी के जल को निकालना,

3.स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को छोड़कर हर प्रकार का खनन (छोटे अथवा बड़े खनिज)

4.पत्थरों को खोदकर निकालना व उनको पीसना (Crushing)

5.जंगल काटना तथा कोई लकड़ी आधारित उद्योग लगाना,

6. कोई नये प्रदूषणकारी और अति-प्रदूषणकारी उद्योग,

7.बिना ट्रीटमेंट के मल-मूत्र तथा औद्योगिक अवजल की निकासी

8.किसी भी ठोस कचरे अथवा जलते हुए कचरे को नदी में डालना

4. Eco sensitive zone में नियंत्रित गतिविधियां-

(a) जल:- केवल खेती तथा घरेलू उपयोग के लिए ही भूमि-जल की निकासी की अनुमति सम्बंधित क्षेत्र अधिकृत जन को होगी। राज्य भू-जल बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना भू-जल की कोई भी विक्रय नहीं होगा। जल को खराब या खेती सहित किसी भी तरह से प्रदूषित होने से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाये जायेंगें।

(b) ध्वनि प्रदूषण:- उत्तराखंड राज्य पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग Eco sensitive zone के भीतर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु नियमावली बनाने के लिए अधिकृत होगा।

(c) अवजल का निस्तारण:- उपचार किये हुए अवजल के सम्बन्ध में जल संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण एक्ट,1974 के प्रावधानों का पालन होगा।

(d) जल विद्युत परियोजनाएं:- छोटी जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से छोटी) को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

(e) ठोस कचरा :- Eco sensitive zone के बाहर ठोस कचरे का निस्तारण Municipal solid waste (Management and handling) rules, 2000 के दिनांक 25 सितम्बर 2000 को जारी तथा समय समय पर संशोधित केंद्र सरकार की विस्तृत अधिसूचना क्रमांक- S.O. 908 (E) के प्रावधानों के अनुसार होगा। स्थानीय प्राधिकरण ठोस कचरे में जैविक-अपघटनीय(Bio-degradable) तथा जैविक-अनअपघटनीय(Nonbio-degradable) पदार्थों को अलग-अलग करने की युक्ति बनायेंगे। biodegradable पदार्थ रिसाइकिल किये जा सकते हैं व अकार्बनिक पदार्थ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से Eco sensitive zone से बाहर निश्चित स्थान पर निस्तारित किये जा सकते हैं।

(f) पहाड़ी ढलानों की सुरक्षा और विकास:-

(i) जोनल मास्टर प्लान पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों को चिन्हित करेगा जिन पर विकास की अनुमति नहीं होगी।

(ii) राज्य सरकार में प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दर्ज ऐसे क्षेत्र जोकि खतरे की ज़ोन में हैं या जो जलश्रोतों के दायरे में आते हैं, प्रथम कोटि के झरनों या अत्यंत भूस्खलन संवेदी तथा संकरी ढालों वाले क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं होगा।

(iii) वर्तमान स्थित तीव्र पहाड़ी ढलानों अथवा उच्च भू-क्षरण संवेदी ढलानों पर कोई विकास कार्य नहीं होगा।

(g) प्राकृतिक जल श्रोत:- सभी जलश्रोतों के जलग्रहण क्षेत्र की पहचान कर इनके संरक्षण तथा जो श्रोत सूख गए हैं उनके नवजीवन हेतु योजना तथा यहाँ पर या इन स्थानों के आस-पास सभी विकास सम्बन्धी गतिविधियों को बंद करने की नियमावली राज्य सरकार जोनल मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाएगी।

(h) पहाड़ी सड़कें:- पहाडी सडकों के निर्माण व रखरखाव की नियमावली बनायीं जायेगी, तथा जोनल मास्टर प्लान के अंतर्गत रखी जायेंगी।

(i) (वर्तमान स्थित सडकों के विस्तार या चौड़ीकरण सहित) Eco sensitive zone के भीतर कच्ची सडकों सहित किसी भी 5 किलोमीटर से अधिक की सड़क के निर्माण के लिए-

(ii) सड़क कटान आदि कार्यों से पहाड़ी ढलानों में आने वाली अस्थिरता के उपचार के लिए सड़क निर्माण के स्वरुप हेतु जैव-अभियांत्रिकी (Bio-engineering) व विभिन्न तकनीकों से युक्त प्रावधान बनाया जाएगा।

(iii) निर्माण में पैदा मलबा ढलानों पर नहीं डाला जाएगा अपितु सड़क निर्माण में ही खपाया जाएगा तथा शेष मलबा निश्चित स्थानों पर इस प्रकार अनुकूल तरीके से निस्तारित किया जाएगा जिससे कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल असर न हो, मलबे का जैव-अभियांत्रिकी(bio-engineering) व अन्य उचित तरीकों द्वारा उपचार किया जाएगा और इन सब की कीमत सड़क निर्माण के प्रस्ताव में ही शामिल होगी।

(iv) सभी सडकों में पर्याप्त निकासी मार्ग होंगे जिन्हें मुक्त रखा जायेगा जोकि क्षेत्र के प्राकृतिक निकासी तंत्र से जुडे होंगे।

(v) सड़क मार्ग इस प्रकार चुना जायेगा ताकि न्यूनतम वनस्पति की हानि हो,

(vi) सड़क निर्माण की रूपरेखा में उचित मानकों का अनुशरण किया जायेगा, जिसमे पेड़ों के काटने व लगाने में संतुलन के साथ ही अनावश्यक कटान से बचा जाएगा।

5. निगरानी समिति (Monitoring committee)-

(1)- पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 (1986 का 29) के सेक्सन-3 के सब-सेक्सन(3) में प्रदत्त शक्ति के द्वारा इस प्रकार केंद्र सरकार एक समिति बनाती है, जिसे निगरानी समिति (Monitoring committee) कहा जायेगा व यह इस अधिसूचना के प्रावधानों के साथ शर्तों की निगरानी करेगी, इस निगरानी समिति में 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इस समिति का प्रमुख एक सिद्ध प्रबंधक अथवा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति होगा, जिसे स्थानीय मुद्दों की समझ हो, अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे।

i. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि,
ii. भारत सरकार द्वारा नामित पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों से कोई एक प्रतिनिधि,
iii. उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रटरी
iv. क्षेत्र के वरिष्ट town planner
v. मुख्य वन संरक्षक
vi. उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रतिनिधि
vii. राज्य सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि,
viii. क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का प्रतिनिधि,
ix. जिला अधिकारी, उत्तरकाशी- मेंबर सेक्रेटरी

(2) इस निगरानी दल की शक्तियां व कार्यकलाप केवल इस अधिसूचना के प्रावधानों के पालन की जांच तक ही सीमित रहेंगी।

(3) ऐसी गतिविधियां को जिन्हें पहले पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन्हें पर्यावरण व वन मंत्रालय भेजा जायेगा, जोकि पर्यावरण प्रभाव आंकलन, अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार कोई भी ऐसी स्वीकृति देने के लिए समर्थ प्राधिकरण होगा।

(4) विषय की आवश्यकता के अनुसार निगरानी दल सम्बंधित विभागों से विशेषज्ञों या प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकता है।

(5) समिति का प्रमुख अथवा मेंबर सेक्रेटरी पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के सेक्सन 19 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन न करने की शिकायत दर्ज करने हेतु अधिकृत होगा।

(6) यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च तक पर्यावरण व वन मंत्रालय के समक्ष रखेगी, समय-समय पर मंत्रालय इस निगरानी दल के प्रभावशाली कार्यकलापों हेतु दिशानिर्देश देगा।

डॉ. जी.वी. सुब्रह्मण्यम , वैज्ञानिक- 'G'

हिंदी अनुवाद- (द्वारा)- **गंगा-आह्वान (गंगा के नैसर्गिक व सांस्कृतिक प्रवाह के लिए जनांदोलन)**

संपर्क- 09711216415, 08958305996, 09456388636